न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 39 / 2020

आदर्श को–ओपरेटीव बैंक लिमिटेड
शाखाः आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि0,
तोशनीवाल कॉम्पलैक्स के सामने, 5 / 163 पाली बाजार,
ब्यावर–305901 (राजस्थान)

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री गुलाब चंद पुत्र श्री धर्मी चंद,
पताः– कृष्णा कॉलोनी, छावनी रेल्वे फाटक के बाहर, डुंगरी रोड, ब्यावर
ब्यावर–305901 राजस्थान
(2) श्री चम्पा लाल पुत्र श्री नेना राम
पताः– 2 / 148, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर 305901 राजस्थान
(3) श्री श्री खीम सिंह पुत्र श्री मधु सिंह
पताः– गॉव अमरपुरा, तहसील ब्यावर 305901 राजस्थान

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अजय टांक प्राधिकृत अधिकारी

आदेश दिनांक 16.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी गुलाब चन्द पुत्र श्री धर्मीचन्द को दिनांक 23.02.2011 को रू. 5,60,000 / – (अक्षरे पांच लाख साठ हजार मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर साईनाथ नगर, सेंदरा रोड, ब्यावर (राजस्थान) स्थित अचल सम्पति, कुल क्षैत्रफल 1125.00 वर्ग फीट, उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर मे दिनांक 24.02.2011 पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 1747, पेज सं0 149 कम सं0 2011001919 से पंजीयन किया गया। जो कि गुलाब चंद पुत्र श्री धर्मी चंद के नाम से है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार हैः– उत्तर मेंः–प्लॉट नं0 381, दक्षिण मेंः–प्लॉट नं0 379, पूर्व मेंः–आम रास्ता, 30 फीट, पश्चिमः–प्लॉट नं0 393, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.08.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–4,76,482 / –(अक्षरे चार लाख छियहत्तर हजार चार सौ बयासी मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी को सुना गया। प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्राथीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति संपति साईनाथ नगर, सेंदरा रोड, ब्यावर (राजस्थान) स्थित अचल सम्पति, कुल क्षैत्रफल 1125.00 वर्ग फीट, उप पंजीयक कार्यालय ब्यावर मे दिनांक 24.02.2011 पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 1747, पेज सं0 149 क्रम सं0 2011001919 से पंजीयन किया गया। जो कि गुलाब चंद पुत्र श्री धर्मी चंद के नाम से है, जिसकी चतुर्दशी निम्न प्रकार है:– उत्तर में:–प्लॉट नं0 381, दक्षिण में:–प्लॉट नं0 379, पूर्व में:–आम रास्ता, 30 फीट, पश्चिम:–प्लॉट नं0 393, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 16.01.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner